संख्या-आई0टी0-/09/002/नोटिस एवं कर निर्धारण माड्यूल /2018-2019 /608/1819024 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनाक :: ~~मार्च~~ 06 अप्रैल ,2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सं0 1718097 दिनाक 16-03-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो वर्ष 2015-2016 के डीलर्स की टर्न ओवर मार्किंग करते हुए रु0 50 लाख से कम एवं 50 लाख से अधिक की मार्किंग किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के क्रम में वर्ष 2015-2016 के रु0 50 लाख से कम एवं 50 लाख से अधिक के डीलर्स की टर्नओवर के मार्किंग का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। टर्नओवर मार्किंग के पश्चात 50 लाख तक के व्यापारियों का परिपत्र सं0 1213102 दिनांक 27-03-2017 में जारी निर्देशों के क्रम में 07 Reason में मार्किंग का कार्य कराना सुनिशिचित करें।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है वर्ष 2015-2016 की 07 Reason में मार्किंग का कार्य बिलम्बतम दिनाक 20-08-2018 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये। मार्किंग न होने के कारण यदि किसी व्यापारी का चयन कर निर्धारण हेतु नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी एवं मार्किंग की तिथि आगे नहीं बढायी जायेगी।

(कामिनी चौहान रत्तन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

283

1213102

पत्र संख्या- आई0टी0/डीम्ड कर निर्धारण -2012-13/ 1401 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(आई0टी0अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 21 मार्च, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / कारपोरेट)
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

सभी अधिकारियों को अवगत कराना है कि वर्ष 2010-11 के वादों को डीम्ड कर निर्धारण की परिधि से बाहर करने की अवधि दिनांक 31-3-2013 को समाप्त हो रही है । डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या आई0टी0-NIC-कम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर (2012-13)/1213020/वाणिज्य कर दिनांक 07.06.2012 तथा विधि-4(1)-डीम्ड कर निर्धारण-2012-13/844/1213053/वाणिज्य कर दिनांक 05.09.2012 के माध्यम से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये हैं । इसके अन्तर्गत डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है । इन परिपत्रों से स्पष्ट है कि डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित वादों को सेन्ट्रल ब्यास सर्वर पर चिन्हांकित करने की कार्यवाही निम्नवत होगी:-

1- संगत वर्ष में जिन व्यापारियों द्वारा अपनी खरीद बिक्री के वार्षिक रिटर्न (फार्म-26) कार्यालय में दाखिल किये गये हैं उनकी सूची सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के login पर उपलब्ध होगी । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सूची में ऐसे व्यापारियों, जिन्हें अधिनियम की धारा 28(1) में उल्लिखित विभिन्न कारणों से डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिया है, को चिन्हाँकित (tick) कर दिया जायेगा ।

2- जिन व्यापारियों को डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिये जाने के कारण उन्हें उपरोक्तानुसार सर्वर पर उपलब्ध सूची में tick कर दिया गया है, उनके मामलों में तदुपरान्त उन कारणों से सम्बन्धित Boxes को भी Tick किया जायेगा जिनके कारण वह डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिये गये हैं । उक्त कारणों को Tick किये जाने से सम्बन्धित Boxes निम्नवत है :-

01 Form-26 has not been submitted in time.
02 Shortcoming of form-26 not removed.
03 One or more monthly/quarterly returns not submitted
04 Provisional assessment done in respect of one or more months / quarters on the basis of best judgment.
05 The turnover and Tax declared in form-26 is not worthy of credence
06 The Dealer has prevented/obstructed in survey/inspection of business premises
07 Dealer selected for a tax Audit.

यदि किसी व्यापारी को उपरोक्त कारणों में से एक से अधिक कारणों से डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किया गया है तो ऐसे मामलों में ऐसे समस्त बाक्स tick किए जायेंगें ।

3- डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये गये व्यापारियों का उपरोक्तानुसार चिन्हाँकन एक बार में (In one session) अथवा अनेक बार (In several sessions) में किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक बार सम्बन्धित पेज को Save करना आवश्यक होगा ।

4- यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया जाता है कि वार्षिक रिटर्न (फार्म-26) दाखिल करने वाले किसी व्यापारी का नाम सर्वर पर प्रदर्शित सूची में नहीं आ रहा है (रसीद others या किसी अन्य मद में कटी होने के कारण) तो कर निर्धारण अधिकारी स्वयं सम्बन्धित रसीद को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से सम्बन्धित रसीदों की सूची में Transfer करने हेतु सक्षम होंगे ।

5- कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 के मामलों में उक्त कार्यवाही दिनॉक 15.04.2013 तक पूरी कर ली जायेगी । अत: यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोई भी व्यापारी जिसे डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, संगत वर्ष के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि तक सूची में चिन्हॉकित होने से न रह जाये ।

6- ऐसे मामले जो दिनांक 15.04.2013 तक सर्वर पर चिन्हांकित करने से रह गये हैं उनके संबंध में कर निर्धारण अधिकारी इन्हे सर्वर पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से चिन्हांकित करते हुए ऐसे मामलों की सूची अपने ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को कारणों सहित उपलब्ध करायेंगे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वर पर किया गया यह चिन्हांकन अन्तिम नही होगा । ऐसे मामलों में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा अपनी login पर जाकर इसका authentication करने पर ही यह चिन्हाकंन अन्तिम होगा । इसके लिए ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) अधिकारी से प्राप्त सूची का अपने स्तर से परीक्षण करेंगे एवं अपनी login पर उपलब्ध ऐसे मामलों में उपयुक्त पाये गये मामलों को tick करेंगे जिसके उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया चिन्हांकन अन्तिम हो जायेगा । ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा authentication की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 15.05.2013 तक पूर्ण कर ली जाये ।

7- चिन्हॉकन के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित तथा इस श्रेणी से बाहर किये गये वादों की सूची दिनांक 16.05.2013 को वेबसाइट पर प्रकाशित हो जायेगी । यह सूची Open Login पर रहेगी जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकेगा । दिनांक 15.05.2013 तक यदि अधिकारी द्वारा डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित तथा इस श्रेणी से बाहर किये गये वादों का चिन्हांकन नहीं किया जाता है तो इसके परिणामस्वरुप होने वाली राजस्व क्षति का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व कर निर्धारण अधिकारी का होगा ।

8- वेबसाइट पर उन व्यापारियों की भी सूची प्रकाशित होगी जिनके द्वारा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किये गये है एवं परिणाम स्वरुप डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से स्वत: बाहर हो गये हैं ।

9- वेबसाइट पर डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची में प्रकाशित होने के साथ-साथ व्यापारी को इसकी सूचना स्वत: SMS व ई-मेल के माध्यम से सर्वर से जनरेट होकर चली जायेगी । यदि व्यापारी का मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध है ।

कृपया उक्त आदेशों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन करायें ।

(हिमाँशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश

पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ ।
2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

(नरसिंह)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर
मुख्यालय , लखनऊ